महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स्था./सैटअप/प्रहरी/प्रशिक्षण/2018/29332-39 दिनांकः– 09-08-2018

स्थायी आदेश क्रमांक :–02/2018

विषय :– नव नियुक्त प्रहरी वर्ग का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांकः–प्रशिक्षण/प्रहरी/2013/61469–75 दिनांक–28.03.2013 के अभिक्रमण में सीधी भर्ती द्वारा नव नियुक्त प्रहरी वर्ग का 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम ''प्रहरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)'' संलग्न परिशिष्ट के अनुसार आयोजित किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जाएगी।

प्रशिक्षण समापन पर परीक्षा हेतु गठित बोर्ड निम्नानुसार होगा :–

1. महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत उप महानिरीक्षक कारागार अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी– अध्यक्ष
2. महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत अधीक्षक ग्रेड प्रथम अथवा अधीक्षक ग्रेड द्वितीय स्तर का अधिकारी– सदस्य
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर– सदस्य सचिव

प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा के भाग तथा उनके लिये पूर्णांक निम्न प्रकार हैं :–

I. आउटडोर परीक्षा– 300 पूर्णांक

क्र.सं.	विषय		पूर्णांक
1.	पी.टी.		100
2.	ड्रिल		100
	(अ) बिना हथियार ड्रिल	60 पूर्णांक	
	(ब) हथियार सहित	40 पूर्णांक	
3.	फायरिंग		100

II. इन्डोर विषय परीक्षा–450 पूर्णांक

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	कालांश
1.	कारागार परिचय एवं नियम	50	144
2.	कारागार कार्य प्रणाली	50	144
3.	समाज शास्त्र, अपराध शास्त्र एवं अपराधिक मनोविज्ञान	50	60
4.	आचरण एवं सेवा शर्तें	50	60
5.	संविधान, न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार एवं बंदी कल्याण	50	60
6.	स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा	50	20
7.	कॉम्यूनिकेशन स्किल एवं व्यक्तित्व विकास, आपातकालीन स्थितियों में नियंत्रण एवं कार्यवाही	50	85
8.	Open air camp का प्रबंधन एवं संचालन तथा बंदी पुनर्वास कार्यक्रम	50	34
9.	कम्प्यूटर उपयोग	50	90

III. आन्तरिक मूल्यांकन (प्राचार्य द्वारा)–50 पूर्णांक

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	परिश्रम, कार्य के प्रति रूचि, निष्ठा, अनुशासन एवं आचरण का प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन	50

नोट :– 1. आन्तरिक विषय परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 से 8 तक की परीक्षा अवधि एक–एक घण्टा तथा प्रश्न पत्र संख्या 9 की केवल प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसकी अवधि 30 मिनट होगी।

2. प्रशिक्षणार्थियों को गठित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा समग्र परीक्षा में सफल होने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

3. प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण समापन परीक्षा में असफल होने पर उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का एक और अंतिम अवसर दिया जायेगा। इसमें भी असफल होने पर परिवीक्षा काल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्ति योग्य होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

संलग्न : परिशिष्ट।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर,जोधपुर व उदयुपर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान जयपुर– स्थायी आदेश पत्रावली में रखने हेतु।
6. प्रभारी,कम्पयूटर सैल को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

BLOCK SYLLABUS OF JAIL WARDER

S/NO	CODE	SUBJECT	PERIODS		TOTAL
			DAY	NIGHT	
1	PT/Y	Physical Training/Yoga	144	-	144
2	UAC	Unarmed Combat	144	-	144
3	D	Drill	225	-	225
4	SLR	7.62mm SLR	30	-	30
5	SLR RW	Range Work	20	-	20
6	COMPUTER	COMPUTER	90	-	90
7	TEST	Tests	36	-	36
8	GAMES	Games	144	-	144
		TOTAL	833	-	833

BLOCK SYLLABUS OF JAIL WARDER

S/NO	SUBJECT	PERIODS		TOTAL
		DAY	NIGHT	
1	कारागार परिचय एवं नियम	144	-	144
2	कारागार. कार्य प्रणाली	144	-	144
3	समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र एवं आपराधिक मनोविज्ञान	60	-	60
4	आचरण एवं सेवा शर्ते	60	-	60
5	संविधान, न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार एवं बंदी कल्याण	60	-	60
6	स्वास्थय एवं प्राथमिक चिकित्सा	20	-	20
7	आपातकालीन स्थितियों में नियंत्रण एवं कार्यवाही	45	-	45
8	कॉम्यूनिकेशन स्किल एवं व्यक्तिगत विकास	40	-	40
9	**Open air camp** का प्रबंधन एवं संचालन तथा बंदी पुनर्वास कार्यक्रम	34	-	34
	Total periods	607	-	607

परिशिष्ट "अ"

आउटडोर परीक्षा

I. पी.टी. (144 कालांश) प्रति दिवस 1 कालांश

2.4 किलोमीटर दौड़ तथा फ्री हैण्ड एवं 5 बी.एक्स. की टेबल 1,2,3उपरोक्त के साथ निम्नांकित भी कराये जाये :–

- काठ का घोड़ा (वुडन होर्स), फ्रन्ट रोल/बैक रोल, चिन अप्स, सिट अप्स
- रस्सी पर चढ़ना
- योगासन (सामान्य आसन)
- प्राणायाम

II. ड्रिल

1. खाली हाथ (135 कालांश)

- सावधान, विश्राम, आराम से
- तेज चाल, दौड़ के चल, धीरे चल, कदमों का फासला एवं कदमों की चाल प्रति मिनट
- खड़े हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें देख
- चलते हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें सेल्यूट
- खड़े हुए सामने सेल्यूट
- फासले से सजना, बिना फासले सजना, लाईन बनाना, गिनती करना, एक लाईन में खड़े होना, दो लाईन में खड़े होना, तीन लाईन में खड़े होना, खुली लाईन, निकट लाईन, विसर्जन होना, मार्च करना, थमना, छोटा कदम, लम्बा कदम, तेज चाल से दौड़ के चल, दौड़ के चल से तेज चल, कदम ताल, दौड़ के कदम ताल, कदम बदलना, तेज चाल से धीरे चाल, धीरे चाल से तेज चाल, स्क्वाड बना एवं दिशा बदल की कार्यवाही
- प्लाटून में खड़े होना का तरीका, प्लाटून में कॉलम एवं लाईन का ज्ञान
- विभिन्न अधिकारियों को सलामी के नियम
- राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेल्यूट, प्रातःकाल एवं सायंकाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा कारागार के मेनगेट को खोलने व बंद करने सम्बंधी नियम
- विभिन्न रेंक की वर्दी एवं शोल्डर डेकोरेशन की जानकारी
- वर्दी सम्बंधी विभागीय नियम एवं वर्दी पहनने का तरीका

2. ड्रिल हथियारों के साथ (45 कालांश)

- एस.एल.आर. के साथ उपरोक्त बिन्दुओं की ड्रिल
- शस्त्र के साथ सावधान, विश्राम, आराम से, कंधे शस्त्र, बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र, समतोल शस्त्र, तोल शस्त्र, बायें शस्त्र, ऊँचा बायें शस्त्र, जाँच शस्त्र, भूमि शस्त्र, उठाव शस्त्र, सलामी शस्त्र
- बट सेल्यूट, सलामी शस्त्र एवं जनरल सेल्यूट
- संगीन लगाना एवं संगीन उतारना
- राईफल के पुर्जों के नाम एवं उनके कार्य
- राईफल की सफाई एवं रख–रखाव का महत्व
- शस्त्रों के पार्ट गुम होने अथवा क्षति पहुंचाने पर उसके दण्ड की जानकारी

3. सेरिमोनियल ड्रिल (45 कालांश)

III. मस्केट्री एवं फायरिंग (30 कालांश)

1. मस्केट्री

- एस.एल.आर. की पूर्ण जानकारी
- राईफल के पुर्जों को खोलना व जोड़ना
- राईफल की सफाई का तरीका, सफाई में काम आने वाली वस्तुओं की जानकारी
- फायरिंग का तरीका, सिस्त लगाना, राईफल लोड/अनलोड करना, टारगेट की जानकारी
- लेटे, बैठे एवं खड़े होकर फायर करने का तरीका
- फायरिंग रेंज पर दिये जाने वाले समस्त आदेशों का पूर्वाभ्यास एवं रेंज पर अपनाये जाने वाले समस्त सुरक्षा प्रबन्धों की जानकारी

2. फायरिंग (10 कालांश)

- एस.एल.आर. से फायरिंग

IV. यू.ए.सी. (144 कालांश)

- शरीर के नाजुक अंगों की पहचान
- डिसेबलिंग ब्लोज
- पकड़ना/छुड़ाना
- पिस्तौल/चाकू से बचाव
- हाथ/लात का प्रहार
- कराटे

इण्डोर परीक्षा

1. कारागार परिचय एवं नियम (कुल कालांश : 144)

1.1 कारागार परिचय एवं पृष्ठभूमि (17 कालांश)

- कारागार का सामान्य अर्थ एवं परिभाषा
- एक बन्द संस्था स्वरूप में कारागार का आरम्भ
- अपराध निरोधक के रूप में कारागार की भूमिका
- कारागारों के प्रति जनधारणा
- कारागारों का देश–विदेश में 1894 तक विकास
- प्रिजन एक्ट बनाये जाने की आवश्यकता एवं संक्षिप्त पृष्ठभूमि, कारागार सुधार सलाहकार समितियों 1836, 1885 एवं 1892 का संक्षिप्त परिचय एवं प्रिजन एक्ट निर्माण प्रकिया, स्वीकृति एवं घोषणा
- राजस्थान कारागार नियम 1951 पार्ट, सेक्शन एवं नियमों में शामिल विषयों की मोटी–मोटी रूपरेखा एवं उद्देश्य

1.2 कारागारों का वर्गीकरण तथा राज्य में विभिन्न कारागृहों के बारे में सामान्य जानकारी (16 कालांश)

- केन्द्रीय कारागृह
  प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत संरचना
  मण्डलीय कारागृह की दृष्टि से प्रशासनिक व व्यवस्थागत क्षेत्राधिकार
  निरूद्ध रखे जाने वाले बंदियों का प्रकार एवं प्रकृति अनुसार आवंटन
  कारागृह ए एवं कारागृह बी श्रेणी का भेद व आशय
  व्यवस्थागत न्यूनतम अपरिहार्यताएँ
- जिला कारागृह ए एव बी श्रेणी
  स्थापना का मुख्यालय व प्रशासनिक संरचना
  रखे जाने वाले बंदियों की प्रकृति एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार
- उप कारागार
  स्थापना केन्द्र अथवा मुख्यालय, न्यायिक क्षेत्राधिकार
  प्रशासनिक संरचना व नियन्त्रणाधिकारी
  रखे जाने वाले बंदियों की प्रकृति
- महिला बंदी सुधारगृह
  विकास की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  कारागृह स्तर, कुल संख्या एवं संरचनात्मक ढांचा
  पृथक से स्थापित सुधारगृहों का उद्देश्य एवं विकास, महत्ता

- किशोर बंदी सुधार गृह

  संरचनात्मक स्वरूप एवं प्राथक्य का कारण

  जुवेनाईल जस्टिस एक्ट 1988– संक्षिप्त परिचय

  पृथक स्थापित सुधार गृह मुख्यालय उद्देश्य, विकास एवं महत्ता

  वर्तमान में व्यवस्थागत नवीनतम विकास व विस्थापन– कारण एवं समाधान
- बंदी खुले शिविर

  मूलभूत अवधारणा एवं विकास, पृष्ठभूमि एवं इतिहास

  अवधारणा जिसमें राजस्थान कारागार विभाग देश भर में अग्रणी राज्य– क्यों और कैसे

  कुल कितने शिविर, कहाँ–कहाँ स्थापित ?

  पृथक्–पृथक् शिविरों का स्वरूप, संरचना एवं प्रशासनिक नियन्त्रण व्यवस्था

  शिविरों पर बंदी आवास व रोजगार व्यवस्था
- नये प्रकार के कारागृहों की स्थापना

  उच्च सुरक्षा कारागृह

  दण्डित बंदी कारागृह

1.3 राज्य में कारागार प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा तथा विभिन्न पदों की जानकारी (8 कालांश)

- प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता–अवधारणा एवं सामान्य परिचय
- संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप
- विभागाध्यक्ष से प्रहरी पद तक सोपान
- महानिदेशालय की प्रशासनिक संगठनात्मक संरचना
- पर्यवेक्षणीय क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठनात्मक स्वरूप
- विभिन्न स्तर के कारागृहों की संगठनात्मक व्यवस्था

1.4 कारागार भवनों का स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भवनों की विशेषताएं एवं आवश्यकताएं (10 कालांश)

- कारागार भवन का घोषित होना (सम्बंधित नियम)
- कारागार भवनों के निर्माण में सुरक्षा का दृष्टिकोण तथा भूमि की उपयुक्तता
- कारागार भवनों का स्वरूप अथवा बनावट
- गेट, मेनवाल, वार्ड, बैरिक, सुरक्षा सेल का स्वरूप और उनके मानक
- भवनों में अन्य व्यवस्थाएं : भोजनशाला, मनोरंजन एवं खेल क्षेत्र
- पानी व बिजली की व्यवस्था, कार्यालय एवं गोदाम
- विशेष कारागृह भवनों में अन्य आवश्यकताएं : उद्योगशाला, क्रेच, वॉच टॉवर आदि

- कारागार परिसर एक प्रतिबंधित क्षेत्र
- कारागार का बाहरी परिसर
- कार्मिको के आवासगृह, प्रहरी लाईन व बैरेक्स
- कारागार भवन निर्माण/मरम्मत के समय सुरक्षा व्यवस्थाएं
- कारागार भवन निर्माण में मरम्मत प्रक्रिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमिका एवं समन्वय

1.5 बंदी वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं (12 कालांश)

- कारागृह में प्राप्त बंदी का न्यायालय द्वारा वर्गीकरण
- कारागृहों में बंदियों के वर्गीकरण के कारण
- विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये नियमों द्वारा वांछित वर्गीकरण, कारागार विभाग में वांछित दायित्व, साक्षात्कार एवं अन्य विशेष व्यवस्थाएं
    - पुरुष एवं महिला बंदी
    - अभ्यस्त आपराधिक बंदी
    - सिविल बंदी
    - निरूद्ध बंदी (डेटेन्यू)
    - मानसिक रोगी एवं पागल बंदी
    - मृत्युदण्ड से दण्डित बंदी
    - किशोर बंदी
    - जघन्य अपराध वाले बंदी
    - छूत की बीमारी वाले बंदी
    - साधारण कारावास से दण्डित बंदी
    - कठोर कारावास से दण्डित बंदी

1.6 कारागार पर गेट व्यवस्था (12 कालांश)

- कारागार के मुख्य गेट, विकट गेट की बनावट और इस बनावट का महत्व
- कारागार के मुख्य द्वार को खोले जाने की परिस्थितियां, प्रक्रिया और सावधानियां
- निषिद्ध सामग्री की रोकथाम में गेट का महत्त्व
- हेण्ड हेल्ड एवं डोर मेटल डिटेक्टर आदि निषिद्ध सामग्री की जांच के उपकरणों की जानकारी
- कारागार बंद होने के पश्चात् रात्रि में कारागार गेट प्रबंधन एवं नियन्त्रण
- गेट से होने वाली प्रत्येक आमद–रफत का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण

- गेट पर्यवेक्षण के दौरान घटित या जानकारी में आये समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी से सक्षम एवं उच्चाधिकारियों को अवगत करवाना
- सुरक्षाकर्मियों के ड्यूटी चढते–उतरते समय अनुशासन व नियन्त्रण की विशेष सतर्कताओं की पूर्ण जानकारी व व्यावहारिक क्रियान्वयन
- राशन सामग्री के प्रवेश पर जांच व अभिलेख सम्बंधी विशेष सतर्कताएं व क्रियान्वयन
- निर्माण व मरम्मत कार्यों सम्बंधी मजदूरों, निर्माण सामग्री एवं औजारों आदि की वांछित सतर्कता की पूर्ण जानकारी व क्रियान्वयन विधि आदि
- आपात परिस्थितियों में गेट का प्रबंधन
- विशिष्ट अवसरों व व्यक्तियों के आवागमन के समय विशेष प्रक्रियाओं व सतर्कता की जानकारी
- गेट मुख्य प्रहरी एवं गेट सहायक प्रहरी के कर्त्तव्य और गेट पर संधारित की जाने वाली पंजिकाएं एवं अभिलेख

1.7 कारागार में निषिद्ध वस्तुएं एवं इनके प्रवेश की रोकथाम (16 कालांश)

- निषिद्ध वस्तु का अर्थ एवं नियम
- वस्तुओं को निषिद्ध करने का अधिकार
- विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये वस्तुओं को प्राप्त करने और रखने में अन्तर
- निषिद्ध वस्तुओं के कारागार में आने/लाने के तरीके
- निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश की रोकथाम
- निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम में सतर्कता, सजगता, सावधानीपूर्वक तलाशी लिये जाने का महत्व
- कारागार परिसर के द्वार पर तलाशी
- मुख्य द्वार पर तलाशी
- कारागार के अन्दर तलाशी
- नग्न आँखों से ली जाने वाली तलाशी
- उपकरणों से ली जाने वाली तलाशी
- तलाशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और उनका महत्त्व
- हैण्ड हैल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर मेटल डिटेक्टर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, एन.एल. जे.डी
- क्लोज सर्किट टी.वी. क्या है और किस प्रकार तलाशी में महत्त्वपूर्ण साधन है ?
- तलाशी के टेक्ट : तलाशी में पारदर्शिता, प्रभावशाली बंदियों की तलाशी, खतरनाक बन्दियों की तलाशी, नशेड़ियों की तलाशी

- तलाशी से प्राप्त निषिद्ध वस्तुओं की जप्ती की प्रक्रिया, फर्द बनाना, जप्त सामान का निस्तारण
- तलाशी के प्रकार – नियमित एवं आकस्मिक, व्यक्तिशः, सामूहिक, सघन
- विभिन्न स्थानों की तलाशी में छुपाने के संभावित स्थान और उनकी तलाशी का तरीका
- आसूचना का महत्त्व और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके
- निषिद्ध वस्तुओं की पहचान– विशेषकर नशीले पदार्थ
- पुरूष कारागार पर महिला बंदियों की तलाशी

1.8 बंदी साक्षात्कार का महत्त्व एवं व्यवस्था (10 कालांश)

- मुलाकात का अर्थ, सिद्धान्त एवं व्यवहार
- बंदी मुलाकात का महत्त्व
- मुलाकात की पात्रता
- मुलाकाती की पहचान एवं उसके प्रमाण
- मुलाकात कराने वाले सहायक एवं उनकी भूमिका
- मुलाकात कराने जाने वाले सहायक के चयन की प्रक्रिया एवं उचित चयन
- मुलाकात कराए जाने हेतु संधारित रजिस्टर और उसमें की जाने वाली प्रविष्टियां
- मुलाकात संबंधी रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों को चैक करना
- मुलाकात का स्थान निर्धारित करना
- निर्धारित स्थानों के अपवाद और उनका महत्त्व
- मुलाकात का समय एवं उसके अपवाद
- मुलाकातियों की तलाशी और निगरानी
- मुलाकाती द्वारा लाये जाने वाले सामान सम्बंधी नियम एवं उसके अपवाद
- विशेष वर्ग के बंदियों के मुलाकात के नियम
    - एन.एस.ए.
    - पी.ए.एस.एस
    - दूसरे राज्य के विशेष बन्दियों के मुलाकात के नियम
- गैर सरकारी दर्शकों द्वारा की जाने वाली मुलाकात का संक्षिप्त विवरण
- मुलाकात पंजिका एवं इसकी प्रविष्टियां और महत्त्व
- मुलाकाती सामान पंजिका की प्रविष्टियां और महत्त्व
- बंदी की ओर से प्रेषित पत्र का सेन्सर और उसकी प्रविष्ठी
- लेखन सामग्री का उपलब्ध कराया जाना
- बंदी को प्राप्त होने वाले पत्र और उसका सेंसर
- राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 22 खण्ड 2 में क्या प्रावधान है
- काउन्सलर एक्सेस (बंदियों के अभिभाषक) की सामान्य जानकारी

1.9 बंदी मैस व्यवस्था (8 कालांश)

- रसोई घर क्या है, किस प्रकार कार्य करता है और क्या कार्य करता है
- लांगरी बंदियान का चयन
- रसोई घर का कारागार खुलने से पूर्व खोला जाना और लंगर के साथ बंदी निगरानी
- रसोई घर में प्रयुक्त खतरनाक उपकरणों की निगरानी
- गैस गोदाम की सुरक्षा
- रसोई घर की सफाई व्यवस्था
- बंदी मैस से सम्बंधित नियम (पार्ट 9)
- राशन सामग्री का आकलन, प्राप्ति, भण्डारण, ईश्यू, उपयोग एवं इसकी जिम्मेदारी
- रसोई घर (नियम 66)
- रसोइयों का चयन एवं भोजन पकाना (नियम 67)
- श्रमिक एवं अश्रमिक बंदी के आहारों का पृथक्करण (नियम 68)
- रसोईघर का प्रभार (नियम 71)
- भोजन का वितरण–समय एवं स्थान का निर्धारण अधीक्षक द्वारा (नियम 71)
- जेल अधिकारियों का उत्तरदायित्व (नियम 74)
- विभिन्न प्रकार के भोजन की स्केल (नियम 31)

1.10 बंदी किट (5 कालांश)

- बंदी किट का अर्थ
- पात्रता एवं स्केल
- किट के अभाव में वैकल्पिक व्यवस्था
- बंदी द्वारा किट का रख–रखाव

1.11 कारागार में बंदी प्रवेश तथा रिहाई (15 कालांश)

- वारन्ट का अर्थ
- वारण्ट में अंकित सूचनाएं और उनका महत्व
- प्रवेश पंजिका, वान्टेड पंजिका, मेडिकल परीक्षण पंजिका
- जमानत पर रिहाई, सजा पूर्ण होने पर रिहाई की सामान्य जानकारी

1.12 न्यायालय में साक्ष्य देने/अवमानना के सम्बंध में सामान्य जानकारी (7 कालांश)

- न्यायालय की अवमानना का कानून
- न्यायालय के आदेशों की पालना
- साक्ष्य देने का तरीका और सावधानियां

1.13 मॉडल जेल मैनुयल की सामान्य जानकारी (8 कालांश)

2. कारागार कार्यप्रणाली(कुल कालांश : 144)

2.1 कारागार का परिवेश (8 कालांश)

- बंदियों की सामान्य मनोदशा
- बंदियों के गिरोहों का गठन एवं उनका नियन्त्रण
- कारागृह में उपस्थित खतरे
- खतरों के आंकलन का तरीका
- प्रहरी के गुण एवं क्षमताएं

2.2 प्रहरी के सामान्य कर्त्तव्य (20 कालांश)

- ड्यूटी पूर्व तैयारी की आवश्यकता
- कार्यभार लेने और देने की प्रक्रिया और सावधानियां
- प्रहरी के ड्यूटी क्षेत्र एवं स्थान
- बंदी वार्ड पर ड्यूटी संपादन
- उद्योगशाला ड्यूटी
- भोजनशाला ड्यूटी
- फरारी की रोकथाम के लिये सामान्य कार्य
- बंदियों की गणना का तरीका
- बंदी आवागमन का नियन्त्रण
- बंदी एवं क्षेत्र तलाशी
- बंदी गतिविधियों पर निगरानी एवं नियन्त्रण
- शौच एवं सफाई सम्बंधी दायित्व
- अधिकारियों को सूचना देने का दायित्व

2.3 क्वार्टर गार्ड (8 कालांश)

- क्वार्टर गार्ड का अर्थ एवं नियोजित कर्मी
- प्रोटोकोल एवं सुरक्षा सम्बंधी दायित्व
- सामान्य एवं आपात परिस्थितियों में कार्य
- कारागृह पर व्यक्ति अथवा विभिन्न प्रकार की सामग्री से संभावित खतरे से निपटने में क्वार्टर गार्ड की भूमिका

2.4 कारागृह खोलना एवं बन्द करना (12 कालांश)

- कारागार बंद करने से तात्पर्य एवं इसका महत्त्व
- कारागार बंद करते समय सावधानियां एवं तैयारी
- कारागार खोलने से तात्पर्य एवं इसका महत्त्व
- कारागार खोलते समय की सावधानियां एवं तैयारी
- विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका

2.5 आपातकालीन परिस्थितियाँ (20 कालांश)

- बंदी सुरक्षा का अर्थ
- प्रहरी बंदी सुरक्षा का दायित्व और दायित्व निर्वहन का तरीका
- आपात परिस्थितियाँ क्या—क्या है ?
    - बाहर से हमला
    - बंदी की गंभीर बीमारी और अन्य चिकित्सकीय आपातकालीन परिस्थिति
    - आपसी झगड़ा एवं हिंसा
    - कारागार अधिकारियों पर हमला
    - बंदियों के समूह द्वारा अनुशासनहीनता
    - फरारी की तैयारी, प्रयास अथवा घटना
    - आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास
    - घातक हथियार की उपलब्धता
    - प्राकृतिक विपत्ति यथा भूकम्प, आग, भवन का ढहना आदि
- गेट व गेट क्षेत्र में आपात परिस्थितियाँ
- विभिन्न आपात परिस्थितियों में भिन्न—भिन्न स्थान पर नियोजित कर्मियों का दायित्व तथा नियन्त्रण के तरीके
- आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से कैसे समन्वय किया जाए व क्या सहायता ली जाए ?
- केस स्टडी

2.6 बंदी आचरण, नियन्त्रण एवं कारागार दण्ड (12 कालांश)

- बंदी के आचरण के नियम
- नये बंदी को आचरण के नियमों से अवगत कराने का महत्त्व एवं दायित्व
- बन्दी द्वारा लॉकिंग, अनलॉकिंग, पेशी पर आने—जाने, भोजन वितरण, साप्ताहिक परेड, तलाशी, साक्षात्कार, चिकित्सालय, सामान्य आवागमन, उद्योगशाला, बंदीगणना, किट की देखरेख, मनोरंजन के साधनों के उपयोग आदि के लिये अनुशासन के कायदे तथा उनका पालन करवाने के तरीके
- कारागार अपराध व दण्ड
    - कारागार अपराध क्या है ?
    - कारागार दण्ड और दण्ड का अधिकार
    - किस प्रकार के दण्ड दिए जा सकते हैं तथा उनके सम्बंध में न्यायालयों के निर्णय
- दण्ड देने का तरीका एवं अभिलेख में अंकन
- अन्य व्यावहारिक दण्ड, सुविधा से वंचित करना, सामूहिक दण्ड
- दण्ड तथा उसके प्रभाव पर परिचर्चा

2.7 बल प्रयोग (10 कालांश)

- बल प्रयोग क्या है ?
- न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग का सिद्धान्त
- परिस्थितियां जिनमें बल प्रयोग वर्जित है
- परिस्थितियां जिनमें बल प्रयोग किया जा सकता है
- सक्षम अधिकारी
- केस स्टडी

2.8 सी0ओ0 (कन्विक्ट ओवरसीयर)/सी0एन0डब्ल्यू (कन्विक्ट नाईट वॉर्डर) का चयन एवं नियन्त्रण (10 कालांश)

- सी.ओ./सी.एन.डब्ल्यू की व्यवस्था का महत्त्व
- पात्रता, नियुक्ति एवं हटाना
- कर्त्तव्य
- विशेषाधिकार
- सी.ओ./सी.एन.डब्ल्यू का प्रहरी द्वारा नियन्त्रण एवं उपयोग

2.9 रात्रिकालीन ड्यूटीज (12 कालांश)

- रात्रिकाल का अर्थ
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के सम्बंध में कारागार मेन्युअल के प्रावधान
- मेनवाल, बैरिक्स पर व कारागार के बाहर रात्रिकालीन ड्यूटीज
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के समय प्रहरी के कर्त्तव्य
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के समय मुख्य प्रहरी के कर्त्तव्य (कारागार के अन्दर व गेटकीपर के कर्त्तव्य)
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के समय कारापाल के कर्त्तव्य
- रात्रिकालीन गश्त की प्रक्रिया जिसमें नियमित व आकस्मिक गश्त शामिल है
- रात्रिकालीन गश्त का समय क्या हो ?
- रात्रिकालीन में बैरक बंद होने पर, बंदी बीमार होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में कारागृह तलाशी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में बैरिक में झगड़ा हो जाये या अन्य संदिग्ध गतिविधि हो तो उस दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में बंदी अन्य कारागृह से आये व अपनी कारागृह का बंदी बाद पेशी लौटे तो अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में कारागृह के अन्दर का पहरा खाली हो उस समय अपनायी जाने वाली सावधानियां
- रात्रि में फरारी या फरारी प्रयास होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

2.10 फरारी की रोकथाम (16 कालांश)

- कारागृह से फरारी का अर्थ एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान
- फरारी में सहयोग का अर्थ
- फरारी रोकने का दायित्व
- फरारी होने पर प्रतिक्रिया एवं कार्यवाही
- फरारशुदा बंदी का रख–रखाव एवं निगरानी
- केस स्टडी

2.11 विभिन्न सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल (8 कालांश)

- राजस्थान पुलिस के साथ
    - नई आमद के समय
    - मुल्जिम छोड़ने आने पर
    - मुलजिम पेशी के दौरान
    - सम्बंधित पुलिस थाना से सम्पर्क
- आर.ए.सी. के साथ
    - क्वाटर गार्ड ड्यूटी के दौरान
    - तलाशी के दौरान
    - ड्यूटी क्षेत्राधिकार को लेकर
    - सामूहिक तलाशी के दौरान
- बोर्डर होमगार्डस एवं शहरी होमगार्डस के साथ

2.12 जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी (8 कालांश)

- पुलिस प्रशासन
- जिला प्रशासन
- न्यायिक प्रशासन
- कारागृह से जुड़े विभागों यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल विकास विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, अभियोजन विभाग, अभिभाषक बार कौंसिल, जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बंध में सामान्य जानकारी

3. समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र एवं आपराधिक मनोविज्ञान –(कुल कालांश : 60)

3.1 कारागृहों में बंदियों के मध्य समूह निर्माण के कारण व इसके प्रभाव (8 कालांश)

- समूह की परिभाषायें
- सामाजिक समूह की विशेषताएँ : व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, कार्य विभाजन, समूह में एकता, ऐच्छिक सदस्यता, स्तरीकरण, सामूहिक आदर्श, स्थायित्व, संरचना (ढांचा), परस्पर सामाजिक सम्बंध
- कारागृहों में बंदियों के मध्य समूह निर्माण के कारण
    - क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर
    - धर्म के आधार पर
    - जाति के आधार पर
    - कारागृह में आवंटित कार्य की प्रकृति के आधार पर
    - आयु के आधार पर
    - सजा के आधार पर
    - अपराध की प्रकृति के आधार पर
- समूह निर्माण के कारागार प्रशासन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव
    - कारागार व्यवस्था का सुव्यवस्थित चलना
    - समूह अनुशासन को प्रोत्साहन
    - बंदियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना
    - सजा अवधि का आसानी से कट जाना
    - बंदियों में नेतृत्व क्षमता का उत्पन्न होना
    - बंदियों में आत्मविश्वास का बढ़ना
    - कारागृह प्रशासन पर सकारात्मक प्रभाव
- समूह निर्माण के कारागार प्रशासन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव
    - कारागार व्यवस्था पर दबाव आना
    - बंदियों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होना
    - बंदियों में नकारात्मक सामाजिकरण की संभावना
    - बंदियों के बीच प्रतिद्वन्दिता व संघर्ष की संभावना
    - ताकतवर बंदियों का प्रभुत्व
    - साधारण बंदियों में असुरक्षा की भावना

3.2 अपराध शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्त्व (8 कालांश)

- अपराध शास्त्र का सामान्य अर्थ
- अपराध शास्त्र की स्थापित परिभाषाएं
- अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र – अपराध की प्रकृति, अपराधी का व्यक्तित्व, आपराधिक व्यवहार का कारण, अपराध नियन्त्रण, अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वासन
- अपराध शास्त्र का महत्त्व– कारागार के सन्दर्भ में

3.3 अपराध का अर्थ एवं परिभाषा (5 कालांश)

- अपराध के बारे में सामान्य प्रचलित धारणा
- अपराध की परिभाषाएं
- वैधानिक दृष्टिकोण में अपराध की परिभाषा
- सामाजिक (समाजशास्त्रीय) दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषा
- अपराध के आवश्यक तत्व

3.4 अपराध के कारण (5 कालांश)

- जैविक, वंशानुक्रमण, मनौवैज्ञानिक, मद्यपान, आर्थिक, पारिवारिक, पारिवारिक दशाएं, समाजशास्त्रीय, अश्लील साहित्य व चलचित्र, प्रतिद्वन्दिता, शौक

3.5 अपराध के प्रकार (6 कालांश)

- श्वेत वस्त्रधारी अपराध, संगठित अपराध, पेशेवर अपराध
- विभिन्न वर्गीकरण
- साधारण अपराधी (निर्धन), श्वेत वस्त्रधारी अपराधी
- परिस्थितिजन्य अपराध, नियोजित अपराध, विश्वासघातक अपराध
- प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, पेशेवर अपराधी

3.6 दण्ड की परिभाषा एवं महत्त्व (8 कालांश)

- दण्ड का सामान्य अर्थ, दण्ड की परिभाषाएं
- दण्ड के उद्देश्यों के सम्बंध में प्रमुख विचारधाराएं
  - दण्डात्मक विचारधारा
  - प्रतिरोधात्मक विचारधारा
  - सुधारवादी विचारधारा
- दण्ड के सामान्य उद्देश्य
  - समाज की सुरक्षा, प्रायश्चित या पश्चाताप, प्रतिशोध, भय उत्पन्न करना, क्षतिपूर्ति, कानून का प्रवर्तन, सुधार एवं पुनर्वासन

- दण्ड के सिद्धान्त
    - प्रायश्चित का सिद्धान्त
    - प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त
    - प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त
    - निरोधात्मक सिद्धान्त
    - सुधारवादी सिद्धान्त

3.7 बंदी मनोविज्ञान एवं निरूद्धीकरण का प्रभाव (6 कालांश)

- व्यवस्था पर निर्भरता तथा स्वविवेक का क्षरण
- अति सतर्कता तथा संदेह की मनोवृत्ति
- भावनाओं का अति नियन्त्रण तथा मनोवैज्ञानिक अलगाव
- सामाजिक निर्लिप्तता
- कारागृह की संस्कृति का आत्मसात होना
- अलग पहचान की समाप्ति

3.8 परिवीक्षा की सामान्य जानकारी (4 कालांश)

- परिवीक्षा का शाब्दिक अर्थ, परिवीक्षा की परिभाषाएं
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रमुख प्रावधान
- अपराधी सुधार की एक न्यायिक पद्धति के रूप में परिवीक्षा का महत्त्व

3.9 पैरोल (कारावास कालीन अवकाश) (4 कालांश)

- पैरोल की परिभाषा
- नियमों के अन्तर्गत पैरोल से सम्बंधित समितियों का संगठन
- पैरोल के प्रकार– नियमित, आपातकालीन, स्थायी पैरोल
- पैरोल की पात्रता/अपात्रता
- नियमित पैरोल की अवधि एवं प्रक्रिया
- आपातकालीन पैरोल के प्रमुख आधार एवं प्रक्रिया
- पैरोल स्वीकृति के सम्बंध में अधीक्षक/जिला कलेक्टर/महानिदेशक कारागार के अधिकार
- पैरोल शर्तों के उल्लंघन पर दण्ड व्यवस्था

3.10 उत्तर संरक्षण सेवाएं (6 कालांश)

- सामान्य जानकारी
- उत्तर संरक्षण सेवाओं का सामान्य अर्थ
- व्यावसायिक पुनर्वासन– संस्तुति पत्र जारी करना, व्यवसाय दिलाना, ऋण दिलाना, रोजगार आदि के लिए विशेष छूट प्रदान करना, उत्पादन की खपत के लिए संगठन, औद्योगिक ईकाइयां
- सामाजिक पुनर्वासन–उत्तर संरक्षण आवास, विधि सम्बंधी सहायता, परामर्श एवं निर्देशन, परिवार एवं विवाह, समाज का सुधार

4. सरकारी सवक का आचरण एवं उसकी सेवा शर्तें (कुल कालांश : 60)

4.1 सेवा के परिलाभ (20 कालांश)

- परिवीक्षा काल प्रशिक्षण, स्थाईकरण, पदोन्नति, सेवा निष्कासन (कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के सन्दर्भ में)
- वेतन, देय भत्ते, वेतन वृद्धि के सम्बंध में जानकारी
- राजस्थान सेवा नियम 86 की जानकारी
- सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें किये जाने योग्य इन्द्राजात
- पैंशन
- ऋण एवं अग्रिम भत्ते
- स्थानान्तरण एवं योग काल, यात्रा भत्ता भरने का व्यावहारिक ज्ञान

4.2 पुरस्कार एवं दण्ड (10 कालांश)

- प्रहरी द्वारा किये जाने वाले प्रशंसनीय कार्य व उनके सम्बंध में पारितोषिकों की जानकारी
- अनुशासनहीन कृत्य एवं दुराचरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही– राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के सन्दर्भ में

4.3 अधिकारियों से बातचीत एवं व्यवहार की जानकारी तथा प्रेस से सम्पर्क(5 कालांश)

4.4 सी0पी0एफ0, राज्य बीमा, राष्ट्रीय बचत योजना, मेडीकल बीमा योजनाओं की जानकारी (4 कालांश)

4.5 विभिन्न सेवा सम्बंधी कानून एवं अधिनियम (5 कालांश)

- सूचना के अधिकार एवं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सामान्य जानकारी
- रेस्मा एक्ट
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- कारागार अधिनियम 1894 की धारा 8, 9, 10, 16, 42 तथा 54

4.6 विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं उनके नियमों की पूरी जानकारी, सेवा में व्यवधान क्या है एवं उसका प्रभाव (8 कालांश)

4.7 राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम (12 कालांश)

- नियम 4 : अनुचित एवं अशोभनीय आचरण
- नियम 4क : सरकारी आवास का अनाधिकृत उपयोग
- नियम 7 : राजनीति व चुनावों में भाग लेना
- नियम 9 : प्रदर्शन तथा हड़तालें
- नियम 18 : निजी व्यापार या नियोजन
- नियम 21 : चल–अचल सम्पति का मूल्यांकन
- नियम 26 : नशीले पेय या औषधि का प्रयोग

5. संविधान न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार एवं बंदी कल्याण –(कुल कालांश : 60)

5.1 संवैधानिक विकास (8 कालांश)

- संविधान एवं मौलिक अधिकार
- आपराधिक न्याय व्यवस्था

5.2 मानव अधिकार (8 कालांश)

- मानव अधिकार की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि
- मानवाधिकारों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका
  - मानवाधिकार घोषणा–पत्र अनुच्छेद 1 से 30

5.3 बंदियों को निरूद्ध रखने के अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा उनकी राज्य के कारागृहों में स्थिति (10 कालांश)

- मानवाधिकार नियम 1993 की सामान्य जानकारी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- राज्यमानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- मानवाधिकार न्यायालय

5.4 अभिरक्षा अन्तर्गत अपराध एवं मानवाधिकार (10 कालांश)

- राजस्थान बंदी (न्यायालय में हाजरी) अधिनियम, 1956
- बंदी अधिनियम 1894 में मानवाधिकार की सुरक्षा के सम्बंध में प्रावधान– विशेष रूप से धारा 24, 27, 29
- हिरासत में मृत्यु
- बंदियों को देय रेमीशन/बंदी रिहाई/खुले बंदी शिविर में भेजने आदि के बारे में राजस्थान कारागार नियम 1951 व अन्य कारागार नियमों व अधिनियमों में मानवाधिकारों के सुरक्षा सम्बंधी उल्लेख
- बंदियों के धार्मिक विश्वास आदि के बारे में नियम और निर्देश तथा उनका क्रियान्वयन

5.5 बंदी सुधार का महत्त्व एवं तरीके (10 कालांश)

- सुधारात्मक व्यवस्थाऍ
- कारागार में खेल सुविधाऍ
- कारागार में अध्ययन की व्यवस्था
- कारागार में मनोरंजन की व्यवस्था
- उद्योगशाला
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- नवाचार तथा देश–विदेश में चल रही बेस्ट प्रिजन प्रेक्टिसेज

5.6 कारागार में बंदियों को जेल दण्ड दिये जाने व हथकड़ी लगाये जाने एवं अन्य तरह से व्यवहार करने में विभिन्न नियम व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (4 कालांश)

5.7 कारागार प्रशासन में दर्शकों एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका (4 कालांश)

5.8 बंदियों के मानवाधिकार (2 कालांश)

5.9 सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकार(2 कालांश)

5.10 बंदियों एवं सुरक्षाकर्मियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं (2 कालांश)

- राजस्थान प्रिजन ड्यूटी मीट सामान्य परिचय
- ऑल इण्डिया प्रिजन ड्यूटी मीट सामान्य परिचय

6. स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा (कुल कालांश : 20)

- व्यक्तिगत साफ–सफाई का महत्त्व एवं इस बाबत ध्यान देने योग्य बिन्दु
- कारागृह में बंदियों की साफ–सफाई में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां एवं उनका निराकरण
- पौष्टिकता, आहार एवं विशेष आहार
- कारागृहों में चिकित्सा व्यवस्थाएं
- सामान्य एवं आपात व्यवस्थाएं
- कारागृहों में सामान्य बीमारियों , उनके लक्षण, कर्मचारियों की भूमिका और उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही
- मादक पदार्थ के आदी बंदी
- मानसिक रूप से बीमार बंदी
- आत्महत्या करने की संभावना वाले बंदी
- छूत की बीमारियां
- हैजा, पीलिया, उल्टी–दस्त, मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, निमोनिया, कैंसर, दांतों की बीमारियां, आँखों की बीमारियों, चोट लगना, साँप/बिच्छू का काटना
- गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ
- बंदियों में तनाव के कारण एवं उस पर नियन्त्रण का महत्त्व व सुझाव

7. काम्यूनिकेशन स्किल एवं व्यक्तित्व विकास, आपातकालीन स्थितियों में नियंत्रण एवं कार्यवाही (कुल कालांश : 85)

1. संवाद कौशल (25 कालांश)
   - संवाद कला का परिचय एवं कारागार व्यवस्था के विशेष संदर्भ में महत्व
   - बंदियों के साथ संवाद
   - बंदियों के परिजनो के साथ संवाद
   - कर्मचारी एवं अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ संवाद
   - जनसहभागिता को बढाने के लिए संवाद
   - एन.जी.ओ. के साथ संवाद
   - पी.डबल्यू.डी/ न्यायपालिका के साथ संबध के लिए संवाद
   - कार्यक्रमो में एंकरिग एवं वीआईपीज के आगमन पर की जाने वाली क्रिया
2. व्यक्तिव विकास (25 कालांश)
   - व्यक्तिव की संकल्पना, अर्न्तमुखी/बर्हिमुखी
   - व्यक्ति व संगठन
   - व्यक्ति की संगठन में भूमिका
   - तनाव, समय प्रबंधन,अभिप्रेरणा
   - परिस्थितियों की समझ एवं समय पर प्रतिक्रिया
3. आपातकालीन परिस्थितियों में नियंत्रण एवं कार्यवाही (35 कालांश)
   - कारागार में आपातकालीन परिस्थितियों का वर्गीकरण
   - अनुशासनहीनता, लड़ाई, झगड़ा, सामुहिक दंगा, गेंग वार की स्थिति
   - स्वास्थ्य संबंधी, महामारी का फैलना
   - व्यक्ति विशेष की गंभीर स्थिति
   - फरारी
   - कर्मचारी पर हमला, सामुहिक विद्रोह
   - पागल बंदी द्वारा उत्पन्न आपात परिस्थिति
   - नियंत्रण
     - ➢ तुरन्त परिस्थिति नियंत्रण, प्रत्येक परिस्थिति में
     - ➢ आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न न हो ऐसी कार्यविधि, व्यवस्था बनाने की कला

8. Open air camp का प्रबंधन एवं संचालन तथा बंदी पुनर्वास कार्यक्रम

(कुल कालांश : 34)

- खुला बंदी शिविर का इतिहास एवं महत्व।
- खला बंदी शिविरो में प्रदेश के लिए अपात्रता/पात्रता।
- कैदियों को खुला शिविरो में भेजने के लिए सिफारिश /आदेश।
- खुले शिविर में कार्य /पारिश्रमिक।
- आवास एवं निवास (लांनिग एण्ड बांडिग) व्यवस्था।
- शिविरो में कैदियों के परिवार व आन्तरिक प्रबन्धन।
- खुले शिविर से कैदियों का स्थानांतरण/निरीक्षण।
- कैदियों के लिए खुला बंदी शिविर सलाहकार समिति।
- अर्ध खुला शिविर की महत्वता।
- शिविर में भेजने से पूर्व प्रशिक्षण।

9 कम्प्यूटर उपयोग

(कुल कालांश : 90)

ए. सैद्धान्तिक ज्ञान (10 कालांश)

- कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी : सी.पी.यू., मॉनीटर, की बोर्ड और माउस
- साफ्टवेयर एवं उसका महत्त्व, सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशनसाफ्टवेयर का ज्ञान
- एन्टी वायरस एवं फायरवाल का महत्त्व
- इन्टरनेट एवं ब्राउजर का परिचय
- कम्प्यूटर नेटवर्क LAN, WAN का परिचय और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण
- वाई–फाई, लीज लाईन, ब्राड बैण्ड, मॉडेम की जानकारी

बी. व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण (20 कालांश)

- कम्प्यूटर का उपयोग
- एम.एस.वर्ड एवं एम.एस. एक्सल , पावर पाइण्ट
- प्रणाली में समस्या निवारण
- कम्प्यूटर की देखरेख
- LAN की देखरेख
- UPS की देखरेख
- कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर, फिंगर प्रिन्ट, वेब कैमरा इत्यादि का संचालन व इनकी देखरेख

सी. कार्यालय कार्य से सम्बंधित प्रशिक्षण (60 कालांश)

- हिन्दी टाइपिंग एम.एस.वर्ड पर
- सांख्यिकी तैयार करना एम.एस.एक्सल पर
- एम.एस.वर्ड पर लेटर ड्राफ्टिंग
- ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर डाटा एण्ट्री करना
- डाटा बैक अप लेना
- विभिन्न वेबसाईट यथा राजस्थान जेल विभाग, एम.एस.ए., एन.सी.आर.बी., बी.पी. आर.डी., राजस्थान पुलिस विभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय इत्यादि के प्रयोग के सम्बंध में सामान्य जानकारी अर्जित करना।
- लाईट्स पर डाटा एण्ट्री करना।